Pakistani Consulate in Bombay packed up and went home on the ground that they had not got this building from the Government to set up their office. They behaved as if they had some kind of a birth right to it. More recently, the daughter of Mr. Jinnah has claimed this property. I hope this claim has nothing to do with the press reports that the commercial value of the property is something like Rs. 200 crores. I would only like to say this at this point of time, that Mr. Jinnah did not so much as name his daughter in his will. He willed this house and other properties to his sister, Fatima. After Partition, both Mr. Jinnah and his sister went to Pakistan. In the ordinary course these properties should have become part of the pool of the evacuee property. For reasons best known to the Government, that was not done. At the same time, Mr. Jinnah made it clear at the time that he would like this House to be let out to an Indian prince or to an Englishment. The Government of India preferred to let it out to an Englishman. But, for the last 12 years and more the house has been lying vacant. When Government did not take it as evacuee property, obviously it had in mind the fact that this was not an ordinary property : it has historic associations. Mahatama Gandhi used to call on Mr. Jinnah day after day, for weeks together. That must have been the major consideration for not taking it over. Now this house is lying unoccupied. It can only fall in disrepair, it can become a ghost-house. It is necessary for the Government to take an early decision about this property.

The right thing would be to put this historic building to historic use ; and nothing can be more historic and more positive than setting up an Institute of Pakistani Studies in it. That kind of an institution should be set up and housed in this building because the people of India and Pakistan are very close. At Government level we have lots of problems. We have to understand each other. Problems should be studied in this institution—Problems of Pakistan, Punjab, Sind, Sarhand (Frontier) area, Baluchistan (Multan) and even the Mohajirs. The Mojahirs have a great grievance against India. They say, you care for the Hindus of Uganda because they are persons of Indian origin ; we are also persons of Indian origin, why dont you bother about us ? So, there should be study of all these six peoples in Pakistan. That will be the most positive and constructive use of this historic building that we can put it to.

Thank you, Sir.

Anti-Women clause in Haryana Panchayat Bill

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय (पश्चिमी बंगाल): धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष महोदय । यद्यपि जो मुद्दा मैं उठा रही हूं वह हरियाणा और राजस्थान की राज्य सरकारों से संबंधित है, फिर भी जाने-अनजाने यह बात महिला विरोधी हो गई है और मैं भारत के एक बड़े महिला संगठन से जुड़ी हूं जो ए.आई.डी.डब्ल्यू.ए. है और उनके प्रतिनिधि के नाते हरियाणा की ग्रामीण महिलाओं ने अपना जो प्रतिवाद मेरे सामने रखा उसे ही मैं यहां कह रही हूं।

हरियाणा विधान सभा ने सत्र के आखिरी दिन और आखिरी घंटे में पंचायत राज बिल, 1994 पास कर लिया जिसमें क्लाज 175 (1) में लिखा है कि "ऐसा कोई भी व्यक्ति, सरपंच, उप सरपंच अथवा पंच या पंचायत समिति और जिला परिषद का सदस्य नहीं बन सकता जिनके दो से अधिक बच्चे हों।"

उपसभाध्यक्ष महोदय, एक ओर हमारी सरकार महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों के आरक्षण का वायदा कर रही है, दूसरी तरफ कानूनन गरीब महिलाओं का संवैधानिक अधिकार, समानता का अधिकार छीन रही है । आज भी हमारे गांवों में आधी से अधिक जनता गरीबी की रेखा के नीचे है और परिवार के साइज और रूप के बारे में निर्णय औरतें नहीं, पुरूष लेते हैं । और केवल बेटियों से परिवार पूरा नहीं माना जाता, दो बेटियों की मां को परिवार मजबूर करता है कि उसका कम से कम एक बेटा भी हो जो पंश परम्परा को चलाए ऐसी स्थिति में महिलाएं कहां तक जिम्मेदार हैं? हरियाणा की कास्ट पंचायत ने तो यहां तक घोषणा कर रखी है कि पुरूष को ऐसी स्थिति में पुनर्विवाह का भी अधिकार है अगर उसकी पत्नी बेटों को जन्म देने में असमर्थ हो । मैं आपके माध्यम से यह पूछना

चाहती हूं क्या उन गरीब औरतों के अधिकार पर यह सीधा हमला नहीं है जो पंचायत चुनाव में खड़ी हो सकती थीं और जीत सकती थीं । हरियाणा में ही सैक्स डिटरमीनेशन टैस्ट भी सब से अधिक है । वैसे ही महिलाएं संख्या में पुरुषों की तुलना में कम हैं ।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि महिला विरोधी इस क्लाज पर एक बार फिर से ध्यान देकर इसे पंचायत राज बिल से वापस लिए जाने का प्रबन्ध करवाएं ।

एक प्रश्न और पहले से हमारे विविध विभागों में जिन पुरुष मंत्रियों के बच्चों की संख्या दो से अधिक है क्या उनके अधिकार पर कोई आंच नहीं आएगी ?

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, श्रीमती चन्द्रकला जी ने जो बात कही है, मैं उससे स्वयं को सम्बद्ध करती हूं और कहना चाहती हूं कि दण्डनीय अपराध नहीं होना चाहिए । अगर राज्य सरकारें पंचायत स्तर पर इसको लागू करना चाहती हैं तो फिर इसको उच्च स्तर पर भी लागू किया जाए ।

Transfers of Income-Tax Commissioners

श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ला (गुजरात) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके जरिए इस सदन का ध्यान राष्ट्र के लिए अति-महत्व की चीज की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । महोदय, सी. बी. डी. टी. के चीफ ने एक साथ 83 कमिश्नर्स के ट्रांसफर कर दिए हैं ।
overnight without taking the Ministry or senior officers into confidence.

और यह छोटी बात नहीं है । इनमें एक ऐसे अफसर भी हैं जिनके कि पास बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स के केसेस हैं और वह उनकी इनवेस्टीगेशन करते हैं । महोदय, स्थिति इतनी गंभीर है कि मनमोहन सिंह जी को खुद ये ट्रांसफर्स एवोएन्स में रखने पड़े हैं और केसेस रिव्यू करने पड़े हैं । महोदय, हम सब लोगों के लिए जानने की और पूरा राष्ट्र जिससे चिन्तित है, वह बात यह है कि यह श्री शिवस्वामी कौन हैं ? who can play in the hands of the industrialists or who can co-operate with industrialists ?

जो लोग करों की चोरी करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ ये इनवेस्टीगेशन करते हैं और उसमें सजा देते हैं । महोदय, 1992 में फायनेंस मिनिस्ट्री ने इस संबंध में गाइडलाइंस बनायी जिनमें स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति 14 साल कुल मिलाकर एक स्थान पर रहा हो या
8 years at a stretch

उन आदमियों को वहां से हटाया जाना चाहिए, फिर भी ऐसे केसेस हैं जिनमें कि लोगों ने 14 साल कर दिए, 8 साल एट ए स्ट्रेच कर दिए और फिर से वापिस . . .

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिब्ते रजी) : कृपया संक्षिप्त में कह दें क्योंकि हाउस एडजार्न करने का समय हो गया है ।

श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ला : सिर्फ आधे मिनिट में समाप्त करता हूं । महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इन लोगों को एक्सपोज किया जाए । मिनिस्ट्री को इस बारे में निवेदन करना चाहिए और श्री शिवस्वामी के संबंध में स्टैप्स लिए जाने चाहिए ।

Need to Check Pollution due to Effluent Discharged from Tanneries in Tamil Nadu

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : Thank you, Sir, for giving me this opportunity.... *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : You kindly check up what is happening there. There may be some gas leakage or some mechanical error. Don't be panicky.

Yes, Mr. Narayanasamy, you continue.

SHRI V. NARAYANASAMY : I am going to raise an issue which will cause panic to the people because the effluent that has been discharged by tanneries in Tamil Nadu is causing pollution and other environmental problems to the people of that State, especially in places like North Arcot and also Erode. A lot of tanneries are ...